प्रेस विज्ञप्ति

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

19 दिसंबर, 2025

सीएजी की "भारतीय नौसेना में कार्य प्रबंधन" की निष्पादन लेखापरीक्षा का प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की 2025 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 30, संघ सरकार (रक्षा सेवाएं - नौसेना) द्वारा "भारतीय नौसेना में कार्य प्रबंधन" की निष्पादन लेखापरीक्षा को लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर कल रखा गया। एक निष्पादन लेखापरीक्षा जिसमें वार्षिक तकनीकी कार्य योजना (एटीडब्ल्यूपी) और वार्षिक प्रमुख कार्य योजना (एएमडब्ल्यूपी) के कार्यों, जिसके लिए 2018-19 से 2022-23 की अवधि के दौरान प्रशासनिक अनुमोदन जारी किए गए थे, के अंतर्गत यह आकलन करने के लिए नमूना लिया गया कि क्या कार्यों को दीर्घकालिक योजनाओं के अनुसार समय पर अनुमोदित किया गया था; और क्या अनुबंध-पूर्व गतिविधियाँ, अनुबंध के होने और निष्पादन समय पर और नियमों के अनुसार किए गए थे।

प्रशासनिक और आवासीय आधारभूत संरचना और संबंधित सुविधाओं की उपलब्धता नौसेना बलों की परिचालन तत्परता के लिए आवश्यक सहायता प्रणाली प्रदान करती है। नौसेना इकाइयों और स्टेशनों पर भवनों, कार्यशालाओं, भंडारण डिपो, हवाई पट्टी, अन्य उपयोगिता सेवाओं आदि के निर्माण जैसी निर्माण कार्य सेवाएं नौसेना प्लेटफार्मों के संचालन, रखरखाव और प्रशिक्षण के लिए आवश्यक हैं। भारतीय नौसेना में आधारभूत संरचना के निर्माण और संवर्द्धन के लिए, एटीडब्ल्यूपी और एएमडब्ल्यूपी रक्षा मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। एटीडब्ल्यूपी कार्यों में उपकरण घटकों के साथ तकनीकी आधारभूत संरचना शामिल होती है, जबकि एएमडब्ल्यूपी अधिकतर सिविल निर्माण कार्यों से संबंधित होता है। आधारभूत संरचना को तैयार करने के लिए दीर्घकालिक आवश्यकताओं के साथ निर्माण-कार्य कार्यक्रमों का संरेखण और उनका समय पर निष्पादन यह सुनिश्चित करता है कि परिचालन आवश्यकताओं के लिए सहायक आधारभूत संरचना के निर्माण का वांछित परिणाम प्राप्त किया जाए।

योजना और अनुमोदन, अनुबंध प्रबंधन और कार्यों की निगरानी के व्यापक विषयों के अंतर्गत लेखापरीक्षा निष्कर्षों को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

1. योजना और अनुमोदन

   'योजना **1**' और 'योजना **2**' जैसी दीर्घकालिक योजनाएं अगले **15** वर्षों में नौसेना की आधारभूत संरचना की आवश्यकताओं के लिए मार्गदर्शक दस्तावेज हैं। स्वीकृत एटीडब्ल्यूपी कार्यों में से केवल **36** प्रतिशत 'योजना **1**' के अनुरूप थे और अपर्याप्त जानकारी प्राप्त होने के कारण, लेखापरीक्षा 'योजना **2**' के साथ एएमडब्ल्यूपी कार्यों के संरेखण का आश्वासन प्राप्त करने में सक्षम नहीं थी।

   निर्धारित समय-सीमा के विपरीत सैद्धांतिक अनुमोदन (एआईपी) में विलंब की प्रवृत्ति पाई गई। **69** में से **57** कार्यों में, बोर्ड की कार्यवाही/अनुमानित अनुमान (एई) जमा करने में देरी और कार्यों की जटिलता में अंतर के कारण एआईपी के बाद प्रशासिनक अनुमोदन (एए) में देरी हुई। इसके अलावा, नियोजित पूर्णता तिथि (पीडीसी) के अनुमान; एई की तैयारी; और एटीडब्ल्यूपी कार्यों के संदर्भ में अभियंता मूल्यांकन के प्रारूप में कमियां देखी गईं। इन अवलोकनों ने योजना और अनुमोदन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में अधिक ध्यान देने की आवश्यकता को रेखांकित किया। कुछ प्रावधान एएमडब्ल्यूपी कार्यों के लिए अधिक प्रासंगिक हैं और एटीडब्ल्यूपी कार्यों पर प्रयोज्यता के संदर्भ में समीक्षा की आवश्यकता है।

2. अनुबंध प्रबंधन

   कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए अनुबंध प्रबंधन महत्वपूर्ण है। प्रशासनिक अनुमोदन के बाद, इंजीनियर अधिकारियों को अनुमोदित ड्राइंग और विनिर्देशों के आधार पर कार्यों की मसौदा लागत अनुसूची तैयार करने और रक्षा कार्य प्रक्रिया (डीडब्ल्यूपी) के प्रावधानों के अनुसार तकनीकी मंजूरी जारी करने की आवश्यकता होती है। इसके बाद की निविदा प्रक्रिया अनुबंधों नियमावली पर आधारित है।

   लेखापरीक्षा ने पाया कि ठेकेदारों को सूचीबद्ध करने में अपनाई जा रही विभिन्न प्रक्रियाओं में निर्देशों की स्पष्टता की कमी थी। साख के सत्यापन में कमियां थीं; प्रतिस्पर्धी अनुबंधों के तीन मामलों में, अयोग्य बोलीदाताओं को भाग लेने दिया गया

था और निष्पक्ष और पारदर्शी निविदा मूल्यांकन से संबंधित प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए कुल **₹78.03** करोड़ की राशि के लिए अनुबंध किए गए थे।

एटीडब्ल्यूपी कार्यों के लिए किए गए 14 अनुबंधों में से 13 अनुबंधों में 24.5 महीने की औसत देरी के साथ 52 महीने तक की देरी हुई; और एएमडब्ल्यूपी कार्यों के संबंध में जांचे गए सभी 47 अनुबंधों में 13 महीने की औसत देरी के साथ 64 महीने तक की देरी हुई। विलंब मुख्य रूप से तकनीकी स्वीकृति जारी करने में हुई देरी; कार्य के दायरे में परिवर्तन; ड्राइंग को अंतिम रूप देने में देरी; शुद्धिपत्र के बार-बार जारी होने; कोविड-19; निविदा आमंत्रित करने की सूचना में बार-बार परिवर्तन; पुनःनिविदा; और अपर्याप्त अनुमान तैयार करने के कारणों से हुआ।

जाँचे गए 14 एटीडब्ल्यूपी अनुबंधों में से, नौ अनुबंधों में मूल अनुबंध पीडीसी से परे 108 से 690 दिनों के बीच तक के विस्तार की अनुमति दी गई थी। एएमडब्ल्यूपी कार्यों के संबंध में, 15 अनुबंध लेखापरीक्षा अवधि के भीतर पूरे किए गए, जिनमें से 13 को 117 से 1367 दिनों के बीच तक के विस्तार के साथ पूरा किया गया था। उपयोगकर्ताओं द्वारा साइट संबंधी अनापत्ति, उपयोगकर्ताओं द्वारा सुझाए गए परिवर्तन, सामग्रियों की अनुपलब्धता, डिजाइन में संशोधन आदि जैसे आधारों पर विस्तार दिया गया था। 14 एटीडब्ल्यूपी अनुबंधों में से 13 **और** 47 एएमडब्ल्यूपी अनुबंधों में से 34 में अनुबंध पीडीसी सीएफए की स्वीकृति के बिना अधिकतम 231 सप्ताह तक जॉब पीडीसी को पार कर रही थी।

विशेष परियोजना '**एस2'** को दिसंबर 2023 तक पूरा करने की परिकल्पना की गई थी। जबकि विभिन्न कार्यों के चलते परियोजना अधूरी है (मई 2025) और आरएए की प्रतीक्षा है जिसमें ₹235.92 करोड़ के मूल एए पर ₹95.72 करोड़ की लागत वृद्धि शामिल है। परियोजना की योजना और कार्यान्वयन में कमियाँ थीं, जिनमें प्रारंभिक मूल्यांकन में कमियाँ शामिल थीं, जिसके कारण भूमि आधारित आधारभूत संरचना के लिए लेआउट का संशोधन हुआ; भूमि और समुद्री कार्यों के लिए संयुक्त निविदा से अलग निविदाओं में परिवर्तन हुआ; समुद्री कार्यों के लिए निविदा में पात्रता मानदंडों के अनुसार नही हुई; भूमि कार्यों के अनुबंध में बोली पूर्व बैठक के अनिवार्य प्रावधान

को सम्मिलित नहीं किया जा सका और आरएए के प्रसंस्करण से संबंधित मौजूदा प्रावधानों का अनुपालन नहीं हुआ।

वित्त मंत्रालय ने बैंक गारंटी (बीजी) के सत्यापन के लिए संरचित वित्तीय संदेश प्रणाली को अपनाने के लिए सभी मंत्रालयों को निर्देश जारी किए (मार्च 2016) जिसके बाद पेपर बीजी सक्रिय हो गया। नौसेना कार्यों के लिए प्राप्त बीजी के संबंध में बीजी की साख सत्यापित करने की यह प्रणाली अभी तक अंगीकार नहीं गई है।

डीडब्ल्यूपी में कटौती विवरण प्रस्तुत करने के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है, जिससे अवरुद्ध धनराशि को अन्य कार्यों में उपयोग के लिए दिया जा सकता है।

3. निगरानी

परियोजनाओं की वास्तविक समय में निगरानी करने के लिए डीजीएनपी द्वारा एकीकृत परियोजना और बजट प्रबंधन प्रणाली (आईपीबीएमएस) लागू की गई थी। डीजीएनपी ('एल**2**') में इस प्रणाली का इष्टतम उपयोग नहीं किया गया था और वास्तविक समय निगरानी बनाए रखने के लिए सुधारात्मक कार्रवाइयों की आवश्यकता थी।

निर्माण कार्यों की सुगमता, प्रस्तावों की समीक्षा और बाधाओं को हल करने में सहायता के लिए परियोजना निगरानी समूह (पीएमजी) का गठन किया जाना है। डीडब्ल्यूपी ने पीएमजी की स्थापना के लिए विशिष्ट समयसीमा निर्धारित नहीं की थी और इसे एए प्रदान करने के बाद अलग-अलग समय पर किया जा रहा था। प्रभावी निगरानी के हित में एए के तुरंत बाद पीएमजी की स्थापना की जानी आवश्यक थी। इसके अलावा, डीओडीवाई को कार्यों की प्रगति की रिपोर्ट देने के लिए अलग-अलग डीजीएनपी अलग-अलग प्रारूपों का उपयोग कर रहे थे। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर, कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट देने के लिए एक मानक प्रारूप जारी करके सुधारात्मक कार्रवाई की गई।

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, मंत्रालय को निम्नलिखित अनुशंसाएं की गई हैं।

1. *मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि एएमडब्ल्यूपी कार्य* **'योजना 2'** *के साथ संरेखित हैं/एक तंत्र विकसित कर सकता है ,*
2. *मंत्रालय द्वारा भिन्नसीमा की -भिन्न जटिलता वाले कार्यों के लिए आवश्यक समय- समीक्षा की जा सकती है और इसे डीडब्ल्यूपी में शामिल किया जा सकता है।*
3. *मंत्रालय कार्यों के लिए वास्तविक पीडीसी तय करने के लिए प्रणालीगत परिवर्तनों में तेजी ला सकता है।*
4. *मंत्रालय एटीडब्ल्यूपी कार्यों के संबंध में अभियंता मूल्यांकन के लिए एक नया प्रारूप तैयार कर सकता है।*
5. *मंत्रालय एटीडब्ल्यूपी कार्यों के लिए ठेकेदारों को सूचीबद्ध करने के अधिकार को स्पष्ट कर सकता है।*
6. *अनुबंध करने और कार्य पूरा करने के लिए यथार्थवादी समयसीमा जटिलताओं के आधार पर तैयार करने के लिए प्रणालीगत परिवर्तनों में तेजी लाने की आवश्यकता है।*
7. *मंत्रालय द्वारा हितधारकों के परामर्श से एसएफएमएस को अंगीकार करने के लिए दिशानिर्देश जारी किए जा सकते हैं।*
8. *मंत्रालय द्वारा डीडब्ल्यूपी में कटौती विवरण तैयार करने की समयसीमा निर्धारित की - जा सकती है।*
9. *मंत्रालय आईपीबीएमएस की पूर्ण कार्यक्षमता प्राप्त करने के लिए अंतरिम महत्वपूर्ण पड़ाव के लिए समय सीमा निर्धारित कर सकता है।*
10. *मंत्रालय प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त होने के तुरंत बाद पीएमजी के गठन के लिए निर्देश जारी कर सकता है और निर्धारित अंतराल पर बैठकें आयोजित कर सकता है।*

BSC/SS/IK/118-25